भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 770
7 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जल-कृषि उद्यमी**

**770. श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अब तक किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरस्थ जलक्षेत्र मत्स्यन के सम्बन्ध में विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबंध से भारत को छूट देने के प्रस्ताव की प्रगति और इस तरह के प्रस्ताव के विफल होने पर इसका संभावित प्रभाव क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में स्टार्ट-अप और मत्स्य फार्मों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गयी; और

(घ) मंत्रालय द्वारा जलीय कृषि उद्यमियों, मत्स्य फार्मों और मत्स्यन कार्यकलापों के लिए ऋण प्राप्ति को सरल बनाने को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने " प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के अंतर्गत पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान कुल 11783.18 करोड़ रुपये की निवेश लागत से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): दूरस्थ जल में मत्स्यन पर भारत के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 2017-18 से 2021-22 और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-23) के विगत पांच वित्तीय वर्षों में पीएमएमएसवाई सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए 15.83 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 47.89 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर राजस्थान सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृती दी है और स्वीकृत गतिविधियों में हैचरी की स्थापना, नए फ्रेशवॉटर ग्रो-आउट, सीड रियेरिंग और बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण, खारा क्षारीय तालाबों का निर्माण, पुनःसंचारी जलीय कृषि (आरएएस) और बायोफ्लोक इकाइयों की स्थापना, जलाशय में केज और पोस्ट-हार्वेस्ट परिवहन इकाइयों की स्थापना शामिल है।

(घ): जलीय कृषि किसानों, मत्स्य फार्मों और मत्स्यन गतिविधियों के लिए ऋण की आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 में मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का विस्तार किया। केसीसी के अंतर्गत कवर किए गए मत्स्य-संबंधी कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, फ़ीड, जैविक और अजैविक उर्वरक, चूना/अन्य सोइल कंडीशनर, हार्वेस्टिंग और विपणन शुल्क, ईंधन/बिजली शुल्क, श्रम, पट्टा किराया (यदि जल क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है) आदि की आवर्ती लागत शामिल है। कैप्चर फिशिंग के लिए, कार्यशील पूंजी में ईंधन, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग / लैंडिंग शुल्क आदि की लागत शामिल है। मात्स्यिकी के लिए केसीसी धारकों की क्रेडिट सीमा 2 लाख रुपये है । केसीसी सुविधा के अंतर्गत, पशुपालन और मात्स्यिकी करने वाले किसानों के लिए ऋण के संवितरण के समय 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन और शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन के रूप में 3% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन भी उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2018-19 के दौरान 5 वर्ष की अवधि के लिए 7522.48 करोड़ रुपये के कुल फंड आकार के साथ मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि/ फिशेरीस एण्ड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) नाम से एक समर्पित फंड बनाया। एफआईडीएफ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीमांत किसानों, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं/ऐलिजिबल एनटेटीस (ईई) को नोडल ऋण संस्थाओं/नोडल लोनिंग एनटेटीस (एनएलई) के माध्यम से चिन्हित मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

*****

**अनुलग्नक**

**07 फरवरी, 2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 770 के उत्तर में संदर्भित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार विवरण :**

| क्र.सं. | राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो के नाम | कुल निवेश (रुपए करोड़ में ) |
|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 37.12 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2121.03 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 89.76 |
| 4 | असम | 328.06 |
| 5 | बिहार | 302.42 |
| 6 | छत्तीसगढ | 364.32 |
| 7 | दमन एवं द्वीप और दादरा नागर हवेली | 6.46 |
| 8 | दिल्ली | 5.33 |
| 9 | गोवा | 94.68 |
| 10 | गुजरात | 739.42 |
| 11 | हरियाणा | 283.22 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 98.27 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 88.58 |
| 14 | झारखंड | 309.02 |
| 15 | कर्नाटक | 779.79 |
| 16 | केरल | 540.87 |
| 17 | लद्दाख | 14.82 |
| 18 | लक्षद्वीप | 55.88 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 497.03 |
| 20 | महाराष्ट्र | 715.83 |
| 21 | मणिपुर | 83.47 |
| 22 | मेघालय | 71.65 |
| 23 | मिजोरम | 87.72 |
| 24 | नागालैंड | 68.62 |
| 25 | ओडिशा | 632.12 |
| 26 | पुदुचेरी | 81.56 |
| 27 | पंजाब | 141.94 |
| 28 | राजस्थान | 43.05 |
| 29 | सिक्किम | 47.33 |
| 30 | तमिलनाडु | 574.73 |
| 31 | तेलंगाना | 226.78 |
| 32 | त्रिपुरा | 96.69 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 861.05 |
| 34 | उत्तराखंड | 163.03 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 77.15 |
| **कुल क** | | **10728.78** |
| 36 | केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं | 1054.40 |
| **कुल क+ख** | | **11783.18** |

***